संख्या : 593 / XVII–02 / 2009–06(03) / 2004

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
विकलांगजन उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–02

देहरादून : दिनांक 17 सितम्बर, 2009

विषयः–राज्य संसाधन केन्द्र / बजाज इन्स्टीटयूट ऑफ लर्निंग, देहरादून को मूक–बधिर निःशक्तजनों को श्रवण सहायक यंत्र उपलब्ध कराने उनके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शिविर आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–.....दिनांक 11.09.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम योजना हेतु लेखानुदान अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि निर्गत करने सम्बन्धित पूर्व के **शासनादेश संख्या–472 / _XVII–02 / 2009–06(03) / 2004 दिनांक 20 जुलाई, 2009 को निरस्त** करते हुए वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में उक्त योजना के मानक मद 42–अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) एवं संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान अर्न्तगत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग द्वारा रू0 28.60 लाख (रू0 अटठाईस लाख साठ हजार मात्र) कुल रू0 29.60 लाख (रू0 उन्नतीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के क्रियान्वयन के लिए नही किया जाए।
2. उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित नियम / शर्तो के अन्तर्गत किया जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सुदुपयोग सुनिश्चित करने उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराए जाने के सुनिश्चित किया जाय।
4. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
6. वितरित किये जाने वाले श्रवण सहायक यंत्रों की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी सुनिश्चित की जायेगी।
7. वितरित किये जाने वाले श्रवण सहायक यत्रों के वितरणोपरान्त उनकी मरम्मत यथा आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही साथ After Sales Service की व्यवस्था जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय भवन में संस्था द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

इस आशय की जानकारी समुचित रूप से मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. अवयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. योजना की अन्तर्गत आवंटित धनराशि वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मासिक विवरण शासन को उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाय साथ ही बी0एम0 13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

10. उपरोक्त धनराशि का आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड की अनुमति के उपरान्त आहरण वितरण जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्याः 73/XXVII(7) डी0डी0ओ0/2005 दिनांक 01 दिसम्बर 2005 के अनुसार करके उत्तरांचल राज्य संसाधन केन्द्र/बजाज इन्स्टीटयूट ऑफ लर्निंग, देहरादून को उपलब्ध कराया जाएगा।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–15 के 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–11–विकलांगजन अधिनियम, 1995 के कियान्वयन हेतु कार्यक्रम" के मानक मद "42– अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–411 (P)/XVII(3)/09 दिनांक सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 593/XVII–02/2009–06(03)/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया उत्तराखण्ड राज्य संसाधन केन्द्र/बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, देहरादून को उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि की नियमानुसार लेखापरीक्षा कराकर आख्या यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. वित्त (व्यय नियंत्रक)अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. सम्बन्धित संस्था।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

प्रपत्र – बी.एम.–15
(पैरा–158)

...त्रक अधिकारी :–सचिव, समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्तीय वर्ष 2009–2010

प्रशासकीय विभाग :– समाज कल्याण।
अनुदान संख्या – 15
(धनराशि हजार रु0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानकमदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानांतरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनु.सं0–15 आयोजनागत 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 11–विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम 00– 19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय 9000	– –	500	8500	अनु.सं0–15 आयोजनागत 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 11–विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम 00– 42–अन्य व्यय 2860	2960	6140	क) विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम की मद विज्ञापन में प्रस्ताव न होने के कारण बचत की सम्भावना है। ख) विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम की ही अन्य व्यय की मद में धनराशि की आवश्यकता होने के कारण पुनर्विनियोग आवश्यक है.
योग : 9000	– –	500	8500	योग : 2860	2960	6140	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघंन नहीं होता है.

(मनीषा पंवार)
सचिव,
समाज कल्याण.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग – 3
सं0– 411 (1)/XXVII(3)/2009
देहरादूनः दिनांकः 17 सितम्बर, 2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत ।

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त.

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा,देहरादून।

संख्या–593 (2)/XVII-2/09–06(03)/2004/तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।

(मनीषा पंवार)
सचिव, समाज कल्याण।